



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 793) पटना, मंगलवार, 27 सितम्बर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
19 सितम्बर 2016

एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016—बिहार कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-112 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**—(1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. उक्त नियमावली 1950 के नियम-5 के संशोधन। —उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(2) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त अथवा नवीकृत प्रत्येक लाईसेंस अगले 10 वर्ष के लिए विधि मान्य रहेगा तथा जिस वर्ष तक के लिए वह प्रदत्त अथवा नवीकृत था, उस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रवृत्त रहेगा”

परंतु उक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अधीन घोषित कारखानों के लिए दिया गया प्रत्येक लाईसेंस ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा।

3. उक्त नियमावली 1950 का शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' का प्रतिस्थापन। — उक्त नियमावली का शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' नए शैड्यूल 'ए' एवं 'बी' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो इसके साथ संलग्न हैं।

(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3990)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

19 सितम्बर 2016

एस0ओ0 241, एस0ओ0 240, दिनांक 27 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं0 1/एफ1-125/2016, श्र0सं0-3991)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

The 19th September 2016

S.O. 240 dated the 27th September 2016—In exercise of the powers conferred under section 112 of the Factories Act, 1948 (LXIII Of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar factory Rules, 1950:-

1. (1) **Short title, extent and commencement.** – These Rules may be called The Bihar Factories (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of Bihar

(3) It shall come into force at once

2. Amendment in Rule 5 of the said Rules 1950:-

(1) First Para of Sub-Rule (2) of Rule 5 of the said Rule shall be substituted by the following:-

“(2) Every license granted or renewed under this chapter shall remain valid for a period of next 10 (ten) years and in force up to the 31st December of the year for which it is granted or renewed :-

Provided that every license granted to the factories, declared under section 85 of the said Factories Act, 1948, shall be effective till the closure of such factories”

3. Substitution of Schedule A and B of the said Rule 1950.—Schedule A and B of the said Rules shall be substituted by New Schedule A and B which are annexed hereto.

(No. F1/-125/2016, L&R—3990)

By order to the Governor of Bihar,

AMRENDRA NARAYAN MISHRA,

Deputy Secretary to Government.

अनुसूची 'ए'

कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(एम) के अंतर्गत घोषित कारखानों का नया लाईसेन्स एवं लाईसेन्स नवीकरण हेतु देय शुल्क विद्युत जेनरेटिंग, ट्रांसफार्मिंग या ट्रांसमीटिंग कारखाना को छोड़कर

क्रमांक	मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में।		लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या				
			20	50	100	250	500
	1	2	3	4	5	6	7
1	शुन्य		600	2340	2700	3300	4500
2	अधिक नहीं	10	1350	2400	3300	4500	6900
3	"	50	2700	3900	4500	6300	9900
4	"	100	3900	6000	9000	12900	15000
5	"	250	6000	9000	12900	15000	24000
6	"	500	21600	27000	28500	30000	33000
7	"	1000	27000	28500	30000	36900	42750
8	"	2,000	28500	30000	36900	50100	56250
9	"	5,000	36900	50100	54000	57300	60000
10	"	10,000	54000	57000	60000	75300	81300
11	"	25,000	81360	84460	135000	154650	183000
12	अधिक	25,000	84450	154650	183000	246000	273900

क्रमांक	मशीनरीज एवं प्लांट का कुल निर्धारित क्षमता(पावर) अश्वशक्ति में।		लाईसेंस वर्ष के लिए किसी एक दिन प्रस्तावित नियोजित कामगारों की अधिकतम संख्या						
			750	1000	2000	5000	10000	25000	Over 25000
	1	2	8	9	10	11	12	13	14
1	शुन्य		6000	9000	10500	12000	13500	14700	18000
2	अधिक नहीं	10	12000	15000	18000	27000	57000	60000	150000
3	"	50	12900	18600	21000	30000	60000	72000	180000
4	"	100	24000	27000	33000	39000	75000	90000	186000
5	"	250	27000	33000	39000	48000	94500	151500	225000
6	"	500	42180	49740	56250	101250	126630	197340	292500
7	"	1000	50040	56250	70290	110040	135000	216540	304200
8	"	2,000	71250	75300	81300	118140	143790	226800	315000
9	"	5,000	75300	81300	84450	135000	154650	246000	332100
10	"	10,000	84450	135000	154650	183000	246000	273900	363000
11	"	25,000	246000	273900	303300	330000	363000	480000	51000
12	अधिक	25,000	303300	330000	393000	480000	507000	510000	540000

अनुसूची 'बी'

सभी जेनरेटिंग ट्रांसफार्मिंग एव ट्रांसमिटिंग केन्द्रों (कारखाना) का देय लाईसेंस नवीकरण शुल्क की तालिका:-
(ए) विद्युत जेनरेटिंग एवं ट्रांसफार्मिंग केन्द्र (कारखाना) :-

	बुल स्थापित जेनरेटर क्षमता (किलोवाट में)	जेनरेटिंग केन्द्र	ट्रांसफार्मिंग (कनभर्सन केन्द्र के साथ)
	किलोवाट में	रु०	रु०
अधिक नहीं	50	1500	900
वही	100	2700	1500
वही	150	3900	2700
वही	300	4500	4200
वही	500	6000	4500
वही	750	9000	6750
वही	1000	12000	9000
वही	2500	21000	12900
वही	5000	27000	15000
वही	10000	33000	18000
वही	25000	45000	27000
वही	50000	72000	36000
वही	75000	91200	45000
वही	100000	117000	54000
वही	150000	144000	72000
वही	200000	180000	108000
वही	300000	234000	144000
वही	300000	288000	180000

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 793-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>